



जम्मू और कश्मीर अधिकारिक राजपत्र

खंड-138] जम्मू, शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2025/25 अश्विन, 1947. [सं. 30-3

इस भाग को अलग पृष्ठीकरण दिया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके ।

भाग II—सी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाएं, सूचनाएं एवं आदेश।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 17 अक्टूबर, 2025
25 अश्विन, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-जे&के/1/2025(3) :- निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (2) के अनुसरण में, सामान्य सूचना के लिए निम्नलिखित प्रकाशित किया जाता है:-

फार्म 7 ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखें]

जम्मू-कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/निर्वाचकगण द्वारा 10 फरवरी, 2021 को श्री मीर मोहम्मद फयाज की पदावधि के अवसान पर चनकी

सं. 30-3] जम्मू और कश्मीर अधिकारिक राजपत्र, 17 अक्टूबर, 2025 / 25 अश्विन, 1947. 2
सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए राज्य सभा के लिए
निर्वाचन।

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	सम्बद्ध दल
(1)	(2)	(3)	(4)

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी:-

1 चौधरी मोहम्मद
रमजान



मकान सं. 118, जे&के
हंदवाड़ा, नेशनल
कुपवाड़ा कांफ्रेंस

2 अली मोहम्मद
मीर



मकान सं. 107, भारतीय
वार्ड सं. 6, जनता पार्टी
कुलबुध बडगाम,
कश्मीर

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा
राज्यीय राजनैतिक दलों को छोड़कर) :- शून्य

(iii) अन्य अभ्यर्थी :- शून्य

स्थान: श्रीनगर

तारीख: 16 अक्टूबर, 2025

ह./-

रिटनिंग ऑफिसर

आदेश से,

(सुमन कुमार दास)

सचिव

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित ।

ह./-

अनिल सलगोत्रा (ज.क.प्र.से.),
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।